[श्री बसुदेव आचार्य]

अपराह्न 4.24 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला और उनकी नीरो के साथ तुलना की। गुजरत के मुख्यमंत्री की तुलना नीरो से की गयी। उन्हें आधुनिक नीरो कहा गया। जब आग लगाई जा रही थी तो उन्होंने दूसरी तरफ अपना मुंह किया हुआ था। आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि दोनों की निंदा करनी चाहिए।

1984 में जो दंगे हुए, हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा कंसिस्टैन्ट रही कि जब कभी कहीं पर दंगे होते हैं या इस तरह की घटना घटती है, तो हम उसकी निन्दा करते हैं। सिर्फ निन्दा ही नहीं, बल्कि हम उसके खिलाफ लड़ते भी हैं। जब 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसके बाद जो दंगे हुए, सन् 1993 में मुम्बई शहर में जो दंगे हुए, हज़ारों का कत्लेआम हुआ, क्या वह *पोग्रॉम* नहीं था? शिवसेना के सदस्य अभी यहां पर नहीं हैं। उसके बाद वहां जो कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट के बाद प्रदेश के मुख्य मंत्री का क्या कहना था, वे शायद भूल गए हैं। इसलिए हम आर्ज साहब को बता रहे हैं जब उन्होंने कहा कि गुजरात तो आमने सामने था। सन् 2000 में जो कत्लेआम हुआ, बलात्कार हुआ, यह भी आमने सामने हुआ और एकतरफा हुआ। यह भी एकतरफा, वह भी एकतरफा हुआ, मगर एक को जस्टिफाइ कर रहे हैं और दूसरे को कंडैम कर रहे हैं। ये डबल स्टैन्डर्ड हैं। हमने सुझाव दिया है कि आज जो रिकमंडेशन आई हैं, उन पर इंप्लीमैंटेशन होना चाहिए और हमने यह बताया है कि नानावती कमीशन ने जिनके बारे में बताया है कि उनके खिलाफ प्रॉसीक्यूशन होना चाहिए, उनके बारे में हमने साफ-साफ बता दिया है कि जो अनट्रेस्ड हैं, इनको रीओपन करना चाहिए, यह भी हमारी मांग है, इसमें जो कहा गया है कि डैथ हो गई है, कार्रवाई नहीं हो सकती या रिटायर हो गए हैं, सर्विस में नहीं हैं, हम कहना चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जो अनाथ हो गए हैं, उनके इंप्लॉयमैंट और कंपनसेशन के बारे में जो सिफारिश की गई है, वह पूरी होनी चाहिए। हम सबको यह सबक लेना चाहिए क्योंकि इसमें कहा गया है कि यह भी जांच करनी है कि जो कमीशन की रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में बोला है – 'अन्य संगठन,' दूसरे कौन से संगठन इसमें थे? *(व्यवधान)* गुजरात में गरीब आदिवासियों को इस लूट के काम में लगाया गया था। यहां पर भी झुग्गी-झोपड़ी में जो गरीब आबादी है, उनको इस काम में लगाया गया था। इसीलिए कौन दूसरे संगठन इसके साथ हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसका भी पता चलना चाहिए। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : यहां आदिवासियों का नाम लिया गया है, उन्हें रिकार्ड से हटाया जाए।

डॉ० तुषार अमर सिंह चौधरी (मांडवी) : नहीं, वह बात सही कही गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। आप अकले आदिवासियों के प्रतिनिधि नहीं हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी के प्रति कुछ सम्मान प्रकट करें।

(व्यवधान)

प्रधानमंत्री (डॉ० मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैंने संयोगवश राजनीति में प्रवेश किया परन्तु मैं जीवन भर राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं और मैं सदा से यह मानता हूं कि राजनीति सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए एक उद्देश्यपूर्ण साधन है। राजनीति जब अपने इस मार्ग से विचलित हो जाती है, संकीर्ण अनुदार तथा तुच्छ विचारों की गुलाम बन जाती है तो अपनी वृहत सामाजिक भूमिका और नैतिक उद्देश्यों से भटक जाती है।

आज हम एक बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी एक बड़ी मानवीय त्रासदी पर बहस कर रहे हैं। इस विषय पर सभा में मतभेद नहीं होने चाहिए। वर्ष 1984 की दुखद घटनाओं के विश्लेषण में तरफदारी की राजनीति को हावी नहीं होने दिया जाना चाहिए हमारी आदरणीय प्रिय प्रधानमंत्री की अपने ही देश में उनके अपने आंगन में उनके दो अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गयी जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली और अन्य शहरों में व्यापक जनसंहार की घटनाएं हुई।

हमें सामूहिक प्रयास कर वे रास्ते तलाश करने होंगे जहां हम यह सुनिश्चित कर सके कि दिल्ली अथवा गुजरात जैसी घटनाएं देश में दुबारा घटित न हो। इसलिए मैं इस सभा में तरफदारी के उद्देश्य से खड़ा नहीं हुआ हूं। 1984 में जो कुछ हुआ वह शर्मनाक राष्ट्रीय त्रासदी थी जिसके लिए हम सभी शर्मिंदा हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या और उसके पश्चात् सिक्ख विरोधी दंगे और अन्य भयंकर घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए थी। यह हमारी राष्ट्रीय अंतरात्मा पर काले धब्बे हैं। इस बात पर सभी पक्ष सहमत हैं। परन्तु प्रश्न यह है : "हम किस ओर जा रहे हैं?"

इक्कीस वर्ष बीत चुके हैं, अनेक दल सत्ता में रहे हैं परन्तु अब भी यह महसूस किया जा रहा है कि वास्तविकता बाहर नहीं आयी है और न्याय अभी तक नहीं मिला है। इसलिए यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम वे रास्ते और उपाय ढूंढे जिससे कि इस प्रक्रिया में तेजी लायी जाए और हमारे लोगों को यह विश्वास दिलाए कि इतने बड़े राष्ट्र में उन्हें न्याय मिलेगा। काश बहस में इस बात का ध्यान रखा जाता। परन्तु बहस संकीर्ण, हिमायती आधारित रही है और मैं बड़ी विनम्रता से इस सभा से यह कहना चाहूंगा कि इससे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती।

सिख एक बहुत ही गौरवशाली समुदाय है। उनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। हमारे गुरूजनों ने हमारे लिए अपनी जीवंत विचारधारा छोड़ गए हैं जो पहले की अपेक्षा आज अधिक प्रासंगिक है सिखों का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अद्भुत योगदान रहा है। जो कोई भी पोर्ट ब्लेयर गया है वह यह जानता होगा जिन लोगों को वहां जेल भेजा गया अथवा जिन लोगों को फांसी दी गयी उनमें कितने सिख थे।

देश का विभाजन हुआ। सिख समुदाय को सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ा। पूर्ववर्ती पंजाब की नहरी क्षेत्र जो सम्पन्नता का प्रतीक थी सिख किसानों की मेहनत का परिणाम था। उनमें से अधिकांश पूर्वी पंजाब में पलायन कर गए। लाखों लोग बेघर हो गए। बंटवारे के उन भयंकर दिनों में मैंने लोगों को अपनी आंखों के सामने अपनी बेटियों और बच्चों को मरते हुए देखा है। यह भयानक दृश्य अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। सिख समुदाय को इसका श्रेय जाता है कि वे इस त्रासदी के बाद भी हताश नहीं हुए।

तत्पश्चात् भातर स्वतंत्र हुआ और पुराने पंजाब की बलि देकर नया पंजाब अस्तित्व में आया। जब उस समय का इतिहास लिखा जाएगा ऐतिहासिक अभिलेखों में नए पंजाब के गठन में दो व्यक्तियों का नाम अग्रणी रहेगा। पहला जवाहर लाल नेहरू और दूसरा सरदार प्रताप सिंह कैरों। आज पंजाब जो कुछ भी है वह देश के इन दो महान व्यक्तियों के गठन से ही सम्भव हुआ। मैं अकाली दल के अपने मित्रों से बहस कर कुछ हासिल करना नहीं चाहता मैं उनसे सम्मानपूर्वक यही कहना चाहूंगा जब वे लोग पंजाब विभाजन के लिए संघर्ष कर रहे थे पंजाब सरकार जवाहर लाल नेहरू तथा सरदार प्रताप सिंह कैरों जैसे लोगों से प्रेरित हो कर पंजाब के इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय लिखा। पंजाब में हरित क्रान्ति पंडित जवाहर लाल नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और सरदार प्रताप सिंह कैरों की देन है। यदि कोई सिख समुदाय और कांग्रेस पार्टी के मध्य दरार पैदा करने का प्रयास कर रहा है तो हमें इन तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए।

तद्पुरान्त 1980 की घटनाएं हुई। किस को दोष दिया जाए और किस को दोष नहीं दिया जाए, मैं दोष का बंटवारा करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हूं। उस समय यह प्रतीत होता था कि पंजाब बुरे दिनों से गुजर रहा है। मैं जहां भी जाता था लोग मुझ से कहा करते थे "पंजाब नूं नजर लग गई"। हमने वह दौर भी देखा जब इस बहादुर समुदाय की ओर से ध्यान हटाने के लिए गम्भीर प्रयास किए गए, जिसने हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज भी वे हमारी राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। देश के बाहर के लोग सिखों तथा राष्ट्र की मुख्यधारा के मध्य दरार डालने का प्रयास किया। विदेशी ताकतों द्वारा उकसाये गए तथा सहायता प्राप्त आतंकवादी तत्वों ने हमारी एकता, हमारी राजव्यवस्था, हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास किया। हम सभा में अथवा बाहर जो कुछ कहें अथवा करें यदि हम पंजाब के युवकों में असंतोष का बीज बोते हैं तो यह हमारी राष्ट्रीयता के प्रति पाप होगा। पंजाब हमारे देश का सीमावर्ती राज्य है। सिख सदियों से इसकी रक्षा में बहादुर रक्षक की भूमिका निभाते रहे हैं।

यदि आप सिख समुदाय और राष्ट्रीय मुख्य धारा के मध्य दरार डालने का प्रयास करते हैं, मुझे चिंता है कि हो सकता है कि ऐसा आपका इरादा नहीं है यह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जहां आतंकवाद का भयानक रूप को पंजाब से दूर किया गया मुझे सन्देह है कि वह पुन: वापस न आ जाए इससे पंजाब को कुछ लाभ नहीं होगा। इससे भारत या हमारे राष्ट्र को कोई लाभ नहीं होगा। मैंने उन भयानक दिनों को देखा है अनेक सिख युवक मेरे पास आते थे और कहते थे अंकल मैं विदेश जाना चाहते हैं, मैं विदेश में पढ़ना चाहता हूं, परन्तु मुझे वीजा नहीं मिलता। सिख युवकों को आतंकवादी के रूप में देखा जाने लगा। मैंने पंजाब और इतिहास में उस भयानक दौर को स्वयं महसूस किया है जब प्रत्येक स्थान पर सिक्खों को संदेह से देखा जाता था। वे देश से बाहर जिस देश में भी गये हर देश में यह अटकले लगायी जाती थी "सावधान आंतकवादी हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं।"

[डा० मनमोहन सिंह]

मैं इस समुदाय और हमारी राष्ट्रीय मुख्य धारा दोनों की प्रशंसा व्यक्त करता हूं जिनके कारण युवकों के मन से आतंकवाद के दुखद अध्याय को दूर किया जो कि अब पुरानी बात हो गयी है। परन्तु हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा बहादुर सिपाहियों द्वारा की जाती है। लेकिन ऐसी बातें हो रही हैं कि हमारे लोगों के दिमाग में संघर्ष के बीज बोये जा रहे हैं और मैं तो इस बारे में यही कह सकता हूं कि इस त्वरित संचार के युग में इस सभा में ऐसी बातें की जाती हैं जो एक बार फिर लोगों के बीच नफरत के भाव पैदा करती हैं, आप जो इस सभा में बोलते हैं आप जो मीडिया के सामने कहते हैं – वे सभी बातें पूरे देश में पहुंचती हैं; मुझे यह सोचकर संकोच होता है कि पंजाब के युवाओं के मन पर उस समय क्या प्रभाव पड़ेगा जब वे यह देखेंगे कि हमारे संसद सदस्य किस तरह से वहां बातें करते हैं। ये बातें सिख समुदाय के हित में नहीं है। ये बातें हमारे देश के हित में भी नहीं हैं।

इसलिए राष्ट्रीय एकता के नाम पर मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि वे ऐसी बातें न कहें, ऐसे काम न करें जिससे सिख समुदाय और देश के दूसरे वर्गों के बीच खाई चौड़ी हो। यह सिख समुदाय की विशेषता है कि वह इस संकट से बाहर आ गया है। पंजाब एक बार फिर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और पंजाब के लोग एक बार फिर साथ मिलकर काम करने लगे हैं ताकि राज्य के युवाओं का भविष्य खुशहाल हो सके। लेकिन अमन की इस प्रक्रिया में इस सबको योगदान करना है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे सिख युवाओं का विश्वास डिगे। उनका भविष्य देश को सुदृढ़ करने में ही सुरक्षित है।

हमारे देश का कोना-कोना हमारे महान गुरूओं की यादों से सराबोर है। चाहें आप पोन्टा साहिब जायें, नानडेड साहिब जायें, असम जायें इस देश की इंच-इंच भूमि हमारे महान गुरूओं के स्पर्श से पवित्र की गयी है। उन्होंने हमें सभी धर्मों का सम्मान करने का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने एक ऐसे समय में हमें व्यावहारिक धर्मनरिपेक्षता का पाठ पढ़ाया जब धार्मिक कट्टरता और उत्पीड़न का बोलबाला था।

इसलिए मेरा शिरोमणि अकाली दल के अपने मित्रों से यह अनुरोध है कि वह कांग्रेस पार्टी की जितनी चाहें आलोचना करें, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति की एक भूमिका होती है, पर कृपया ऐसी बातें न करें जिससे सजग सिख समुदाय और राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल लोगों के बीच कोई स्थायी दूरी पैदा हो।

महोदय, मैंने कहा है कि हम सभी सचाई जानना चाहते हैं, यह पता करना चाहते हैं कि 1984 की घटनाएं कैसे घटी। इसके लिए अब तक आठ आयोग बिठाये जा चुके हैं। फिर भी हमें संतोष नहीं हुआ। इस पर एक नौंवा आयोग गठित किया गया। जिन परिस्थितियों के तहत इस आयोग का गठन किया गया, हमारे मित्र श्री गुरूदास दासगुप्त ने पहले ही उनका उल्लेख कर दिया है। इस आयोग का गठन करने में हमारी राय नहीं ली गयी थीं। इसका गठन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन अब इस आयोग की रिपोर्ट भी आ गयी है, लेकिन कुछ लोगों को अब भी यही लगता है कि अभी भी पूरी सच्चाई बाहर नहीं है। लेकिन मेरी समझ से एक बात पूरी तरह स्पष्ट है। इस आयोग का गठन कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं किया गया था। इसका गठन राजग सरकार ने किया था। हमारा यह तय करने में भी कोई हाथ नहीं था कि इस जांच आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा। अब इस आयोग ने उन सब बातों को बिना लागलपेट के और स्पष्ट शब्दों में झुठला दिया जिन्हें लगातार 21 सालों से कांग्रेस पार्टी के उच्च नेताओं के विरुद्ध बिना सोचे समझे कहा जाता रहा है और यह दिखला दिया है कि इतने दिनों से ये सारी अफवाहें जो फैलायी जा रही थी कि उन दंगों में कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शामिल रहा है, सभी गलत साबित हुई हैं।

हमें इस बारे में कभी कोई संदेह नहीं था। भला पंडित जवाहर लाल नेहरू के सिख समुदाय के साथ संबंधों को कौन भुला सकता है, इंदिरा गांधी ने सिखों को जो प्यार-दुलार दिया उसे कौन भुला सकता है। मैं जानता हूं कि सिख विरोधी जो दंगे हुए थे, पंजाब पर जो कहर टूटा था, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी उससे कितना अधिक व्यथित थे और उन्होंने सिखों के इस स्थिति से उबारने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला काम किया वह था पंजाब समस्या की ओर ध्यायन देना और राजीव लोंगोवाल समझौता इसी का परिणाम था।

मुझे याद है कि सरदार बलवंत सिंह, जो उस समय पंजाब सरकार में वित्त मंत्री थे – मेरे सहपाठी थे, 40-50 वर्षों से मेरे मित्र थे, और बाद में आतंकवादियों ने जिनकी हत्या कर दी थी, ने मुझे यह बताया था कि यह राजीव-लोंगोवाल समझौता कितनी मेहनत के बाद हो पाया था। मैं सभा को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बताया कि समझौते कि विस्तृत रूपरेखा तैयार हो चुकी थी फिर भी संत हरचरण सिंह लोंगोवाल दुःखी और दुविधा में थे। फिर उन्होंने कहा कि हमें 'गुरू ग्रंथ साहिब से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए।' इसलिए वे दोनों गुरू ग्रंथ साहिब के दरबार में गये। गुरू ग्रंथ साहब को खोला गया और उसका जो पृष्ठ सामने आया उसमें संदेश लिखा था :

[हिन्दी]

"होए इकतर मिलहु मेरे भाई। दुबीधा दूर कराहु लिव लाई।"

[अनुवाद]

इसका अर्थ यह है कि – अरे मेरे बच्चों, आओ एक साथ मिलकर काम करो। अपनी दुविधा को त्याग कर प्रेम से ईश्वर में एकाकार हो जाओ।''

संत जी ने कहा कि अब मेरा संदेह दूर हो गया है। राजीव-लोंगोवाल समझौता इस तरह हुआ था।

मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि हमें विगत की कड़ुवाहट भुला देनी चाहिए, हमें उस भयावह राष्ट्रीय त्रासदी को विभेदकारी नजरों से देखना बंद करना चाहिए, हमें नये रास्ते तलाशने के लिए साथ-साथ कार्य करना चाहिए ताकि ऐसी त्रासदियां दुबारा कभी न हों।

माननीय सदस्यों ने नानावती आयोग की रिपोर्ट से उत्पन्न कई मुद्दों का हवाला दिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा यह आशा की जाती थी कि विभिन्न जांच आयोग, निःसंदेह यह तथ्य सामने लायेंगे कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हिंसा फैली और दंगे हुए उसके लिए दोषी कौन था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका है। कई व्यक्तियों पर उंगलियां उठायी जाती रही हैं लेकिन जांच आयोग की रिपोर्टों में शायद ही कभी किसी के विरुद्ध कोई साक्ष्य मिलने का उल्लेख किया गया है। परिणामस्वरूप, इसकी सच्चाई के जानने का प्रयास होता रहा है। न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग इस दिशा में अद्यतन प्रयास है।

मैं इस आयोग के निष्कर्षों में कोई दोष नहीं ढूंढ रहा हूं, लेकिन जैसा कि कुछ पूववर्ती आयोगों के मामले में हुआ है, अब भी इसकी सच्चाई में संदेह बरकरार है और हमें यह बात स्वीकारनी होगी। आयोग ने जिन सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की है उनमें से अधिकतर सेवानिवृत्त हो गये हैं। उस समय और उसके बाद भी उनमें से कुछ के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। तब से कई सेवानिवृत्त हो गये हैं और अब बीस साल के अंतराल के बाद साधारणतया उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाना संभव नहीं है। फिर भी, हमारी सरकार विधि मंत्रालय से विचार-विमर्श कर उन लोगों को अधिक से अधिक दंड दिलाने का प्रयास करेगी जो इसमें दोषी पाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, कई राजनीतिक नेताओं से भी पूछताछ की गयी है। यहां भी आयोग ने स्पष्टरूप से कहा है :

> ''इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि श्री राजीव गांधी अथवा कांग्रेस (आई) पार्टी के कोई दूसरे उच्च सदस्य नेता ने सिखों पर हमला करने का सुझाव दिया था या हमले आयोजित किये थे।''

कुछ दूसरे लोगों के मामले में, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संभव है कि इन लोगों का कुछेक घटनाओं में हाथ हो, और इस आशय के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन स्वयं आयोग इन व्यक्तियों की भूमिका को लेकर संदेह में है। जैसा कि की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है जब आयोग में ही इस मामले में अनिश्चितता व्याप्त है तो सरकार इस मामले में कैसे कार्रवाई कर सकती है ... *(व्यवधान)* कृपया मेरी बात तो सुनें ... *(व्यवधान)*

तथापि, एक बात है जिसे अवधारणा कहा जाता है, और इस सभा की अपनी भावनाएं भी हैं। सरकार उन भावनाओं की कद्र करती है और उनका सम्मान करती है। इसलिए, आज सभा में व्यक्त की गई इन्हीं भावनाओं के मद्देनजर हमारी सरकार ने सभा को आश्वासन दिया है कि जिन मामलों में आयोग ने किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर कहा है कि उसमें आगे और जांच की जरूरत है या किसी विशेष मामले में मुकदमे को सिरे से चलाये जाने और उनकी नये सिरे से जांच करने के बारे में आवश्यकता महसूस की है तो सरकार कानून के दायरे में रहते हुए इस दिशा में सभी संभव कदम उठायेगी। सरकार की इस सभा के प्रति यह प्रतिज्ञा और प्रतिबद्धता है।

अध्यक्ष महोदय, अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उस राष्ट्रीय त्रासदी का शिकार हुए परिवारों के पुनर्वास से संबंधित है। उन घटनाओं के बीस वर्ष बाद ऐसा कहना, हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि इसमें बहुत देरी हो गयी है। तथापि, यदि इस संबंध में कोई कमी है तो इस सभा को हमारा पूर्व आश्वासन है कि हम इस कमी को दूर करने के गंभीर प्रयास करेंगे।

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग इन दंगों का शिकार हुए हैं उनकी विधवाएं और बच्चे आत्म-सम्मान की जिंदगी बसर करें। हमारा यह ईमानदार प्रयास रहेगा कि प्रत्येक दुःखी व्यक्ति की आंखों से आंसू पोंछे जा सकें।

अध्यक्ष महोदय, उस समय जो हुआ, उसके बारे में मेरा यही कहना है कि यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात थी और बहुत बड़ी राष्ट्रीय तथा मानवीय त्रासदी थी।

मेरा इस सभा से अनुरोध है कि ''कृपया किसी मानवीय त्रासदी पर राजनीति की रोटियां न सेकें। ऐसी घटनाओं को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए देश को आगे बढ़ने देना चाहिए।''

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए एक आश्वासन सदन